मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.	पंजीकरण दिनॉकः 27/02/17	निर्णय दिनॉकः 16/06/20	अवधिः 3 वर्ष, 3 माह, 20 दिन

एम.ए.सी.पी.संख्या–८८/२०१७

१. रेखा कौशिक उम्र करीब ४६ वर्ष पत्नी स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक
२. आकांक्षा कौशिक उम्र करीब १९ वर्ष पुत्री स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक
३. अपूर्वा कौशिक उम्र करीब १५ वर्ष पुत्री स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक
४. डा. रामशरण कौशिक उम्र करीब ७२ वर्ष तनय वैदही शरण कौशिक
५. विमला कौशिक उम्र करीब ६९ वर्ष पत्नी डॉ. राम शरण कौशिक

-----याचीगण।
(द्वारा)

प्रति

१. तरुण कुमार गुप्ता उम्र करीब ४८ वर्ष तनय अशोक कुमार गुप्ता निवासी ३०/अन्दर बड़ागॉव गेट झॉसी, उ.प्र.

..............वाहन स्वामी वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

२. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इलाईट चौराहा, झॉसी जरिये शाखा प्रबन्धक ने. इ. क. लि. झॉसी

.... बीमाकर्ता वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

३. रहीम खॉन तनय मन्नी खॉन निवासी कटरा गुरसरांय

...............चालक वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९

-----विपक्षीगण।

याचीगण के अधिवक्ता--------- श्री शिवकान्त शर्मा
विपक्षी सं. १ व ३ के अधिवक्ता----श्री संजय देव शर्मा
विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता------- श्री एस. बी. कनकने

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा १६६ व १४० के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याचीगण के पति, पिता व पुत्र डॉ.महावीर शरण कौशिक की मृत्यु के कारण ₹ ९२,५०,०००/–क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि क्रमशः याचीगण के पति, पिता व पुत्र डॉ. महावीर शरण कौशिक दिनॉक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६ बजे गुरसरांय अपने घर से सिद्धेश्वर मन्दिर दर्शन के लिये गये थे और वहॉ से लौटते समय एरच–गुरसरांय मेन सड़क के किनारे डॉ. महावीर शरण व उनका पूरा परिवार खड़ा हो गया इसी समय डॉ.महावीर शरण लघुशंका करने के लिये थोड़े आगे खड़े हो गये तभी गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर मालवाहक पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक अधिक उतावलेपन में बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और डॉ. महावीरशरण को जोरदार टक्कर मार देने के साथ–साथ खड़े रेखा कौशिक, आकांक्षा कौशिक व अपूर्वा कौशिक को भी जोरदार टक्कर मार दी जिससे डॉ. महावीरशरण व याचीगण को गम्भीर चोटें आयीं और वे सभी लोग बेहोश हो गये। उन्हें प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसरांय लाया गया जहॉ से डॉ. महावीर शरण को झॉसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एम्बुलेन्स द्वारा भर्ती कराया गया वहॉ

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.16 16:07:07 UTC
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI

पर डाक्टरों ने डॉ. महावीरशरण को मृत घोषित कर दिया। मृतक पढ़ाई में बहुत ही होशियार था तथा उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई की थी व मरीजों को देखने के कार्य के साथ साथ अपने व्यापार को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे थे जिससे मृतक सभी मदों में मिलाकर कुल ८५,०००/- रूपये प्रतिमाह कमाते थे जो अपने परिवार पर खर्च करते थे। मृतक की उम्र ४८ वर्ष थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट दिनॉक २३.१२.२०१६ को थाना गुरसरांय में दर्ज करायी गयी थी।

३. विपक्षी सं. १ व ३ क्रमशः तरुण कुमार गुप्ता व रहीम खॉन जो कि प्रश्नगत महिन्द्रा पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के स्वामी व चालक हैं, की ओर से २६बी संयुक्त जवाबदावा दाखिल किया गया जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि उनके उक्त वाहन से कथित दुर्घटना नहीं हुयी है। विपक्षी सं. ३ कुशल चालक है व उसके पास दुर्घटना के दिनॉक व समय पर वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था तथा विपक्षीगण का उक्त वाहन घटना के समय विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के यहॉ समस्त दायित्वों के लिये बीमित था अतः क्षतिपूर्ति अदायगी का यदि कोई दायित्व पाया जाता है तो क्षतिपूर्ति अदायगी का सम्पूर्ण दायित्व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी का होगा ।

४. विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महिन्द्रा पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा १९बी दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी सं.१ प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी नहीं है तथा कथित दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास उक्त वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स नहीं था और न ही विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन बीमित था। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं। याचीगण ने मिथ्या तथ्यों पर याचिका बढ़ा-चढ़ाकर अन्य किसी प्रकार से हुई दुर्घटना को पश्चात विचारों पर तोड़-मरोड़ कर व साजिश विपक्षी सं. १ दुर्घटना के दिनॉक से २ माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर फर्जी रूप से क्लेम पाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है।

५. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक २१.०३.२०१८ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैः-

१. क्या दिनॉक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६.०० बजे जब मृतक डॉ. महावीर शरण कौशिक अपने घर से सिद्धेश्वर मंदिर दर्शन के लिये गये थे तब मंदिर से लौटते समय एरच गुरसरांय मेन सड़क के किनारे मृतक व उसका पूरा परिवार खड़ा हो गया उसी समय गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर छोटी मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और मृतक में टक्कर मार दी जिससे मृतक को गम्भीर चोटें आयीं तथा मृतक को मेडिकल कॉलेज, झाँसी में इलाज हेतु भर्ती कराया गया जहॉ मृतक की मृत्यु हो गयी?

२. क्या दुर्घटना की दिनॉक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था?

३. क्या दुर्घटना की दिनॉक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित थी?

४. क्या याचीगण कोई प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो कितनी व किस विपक्षी से?

६. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैः-

१. याचीगण द्वारा फेहरिस्त ७सी१ के माध्यम से ८सी१ लगायत १६सी/२ प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र व पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,
२. याचीगण की ओर से ही फेहरिस्त ९३सी१ के माध्यम से ९४सी१/१ लगायत १०२सी१ प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोपपत्र, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ व मृतक की वैद्य की डिग्री, मृत्यु प्रमाणपत्र, आयकर प्रपत्र, खेती से होने वाली आय से सम्बन्धित प्रपत्र, पत्थर की लीज से संबंधित प्रपत्र व खतौनी की छाया प्रतिलिपियॉ शामिल हैं,
३. विपक्षीगण सं. १ व ३ की ओर से फेहरिस्त २७सी१ के माध्यम से २७सी१/२ लगायत २७सी१/५ जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र व ड्राईविंग लाइसेन्स की छाया प्रतिलिपियॉ शामिल हैं,
४. विपक्षीगण सं. १ व ३ की ओर से फेहरिस्त ८६सी१ के माध्यम से ८७सी१/१ लगायत ८८सी१ प्रपत्र जिनमें महावीर स्टोन फर्म के कागजात व ट्रेक्टर के पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रतिलिपियॉ शामिल हैं,
५. याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.१ के रूप में मृतक की पत्नी याचिया श्रीमती रेखा कौशिक व पी.डब्लू.२ के रूप में स्वतंत्र चक्षुदर्शी राजकुमार को परीक्षित कराया गया है।
७. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।
८. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस वर्चुअल कोर्ट में सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं. १

९. वाद बिन्दु सं. १ को साबित करने के लिये याची की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप–पत्र तथा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियॉ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं तथा मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पी.डब्लू.–१ रेखा कौशिक तथा पी.डब्लू.–२ राज कुमार को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में दो माह का बिलम्ब है जिससे घटना सन्देहास्पद हो जाती है तथा वाहन को झूठा आरोपित करने का मौका मिल जाता है। बीमा कम्पनी के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इस दुर्घटना में मृतक महावीर शरण के परिवार में पत्नी तथा दो बच्चियाँ भी गम्भीर रूप से घायल हुयी हैं जिनके इलाज में दो माह का समय लगने की पूरी संम्भावना है। मृतक की पत्नी ने ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है, वह घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है और उसने बिलम्ब का यही स्वाभाविक स्पष्टीकरण अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दिया है। उसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे यह अवधारित किया जा सके कि साक्षी की सत्यता संदिग्ध है। **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा – २० और २१]*
अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02.2018 – SC): MANU / SC / 0105/2018 के मामले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने माना है कि *मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले मे इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी एक आपराधिक मुकदमे में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढ़ंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिए संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।*

१०. प्रस्तुत मामले में एफआईआर मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई थी जो कि स्वयं भी घायल थी। २ माह की देरी को एफआईआर मे ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। इलाज कराने मे हुआ विलंब एक स्वीकार्य विलंब है। पी.डब्लू.-१ मृतक की पत्नी ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का विस्तृत विवरण देते हुये कथन किया है कि वह दिनॉक-२२.१०.२०१६ को अपने घर से सिद्धेश्वर मन्दिर दर्शन करने गयी थी, वहां से लौटते समय एरच-गुरसरांय मार्ग मुख्य सड़क के नजदीक कच्ची सड़क पर वह व उसके साथ गये उसके पति महावीर शरण कौशिक और उसकी दो बेटियां आकांक्षा कौशिक और अपूर्वा कौशिक सड़क के किनारे खड़े हुये थे। उसके पति लघुशंका के लिये थोड़े से आगे गुरसरांय की ओर गये थे और वहां से लौटते समय उसने देखा कि गुरसरांय की ओर से गाड़ी सं.- यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक अधिक उतावलेपन से बिना हार्न बजाये हुये आया और उसके पति महावीर शरण को जोरदार टक्कर मार दी और उसे और उसकी दो बच्चियों को भी जोरदार टक्कर मार दी। उसके पति घटना स्थान पर लहू-लुहान होकर उछलकर गिर गये और उन लोगों को गम्भीर चोटें आयीं। उसने अपने देवर को घटना स्थल पर बुलाया, उसके बाद उन सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसरांय ले जाया गया, वहां से चोटों की गम्भीरता को देखते हुये मेडिकल कालेज, झॉसी रेफर किया गया। उसके पति को उसी दिन अस्पताल में मृत घोषित किया गया।

११. पी.डब्लू.-2 ने भी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनॉक-२२.१०.२०१६ को वह सिद्धेश्वर बाबा मंदिर दर्शन करने गये था एवं मुख्य सड़क के दूसरी ओर खड़ा था। मृतक महावीर शरण कौशिक और उसकी दो बच्चियां भी उसके सामने ही खड़ी थी। उसने देखा कि तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन बुलेरो पिकप नं. यू..पी. ७७ टी ५०८९ ने महावीर कौशिक व उसके सामने खड़ी उसकी पत्नी व दो बच्चियों को जोरदार टक्कर मार दी। उसने भी दुर्घटना कारित वाहन को आवाज लगायी, रोकने के लिये कहा तब थोड़ी गाड़ी धीमी हुयी। उसी समय उसने गाड़ी का नम्बर देख लिया था। जिस समय दुर्घटना हुयी उस सयम लगभग साढ़े छैः व सात बजे का समय रहा होगा। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में इसकी हितबद्धता के सम्बन्ध में कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हआ है। विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अंधेरे में नम्बर नहीं देखा जा सकता है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि हल्का-हल्का अंधेरा था, उसने नम्बर देख लिया था। मेरे विचार से २२ अक्टूबर को शाम साढ़े छैः -सात बजे के बीच में इतना अंधेरा नहीं होता है कि नम्बर न देखा जा सके। यदि अधिक अंधेरा होगा तो वाहन चालक लाईट जलाकर अवश्य चलेगा और जब लाईट जलाकर चलेगा तो नम्बर प्लेट पर पड रही रोशनी मे नम्बर अवश्य पढ़ा जा सकता है। इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि मृतक का परिवार कार में था और यह कार पेड़ से टकरायी जिससे साक्षी ने इन्कार किया है। बीमा कम्पनी की ओर से इन्वेस्टीगेशन की कोई ऐसी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है जिसमें कार का पेड़ से टकराने का कोई मामला आता हो और ना ही नक्शा नजरी में कार का कोई जिक्र है। नक्शा नजरी निम्नवत है-

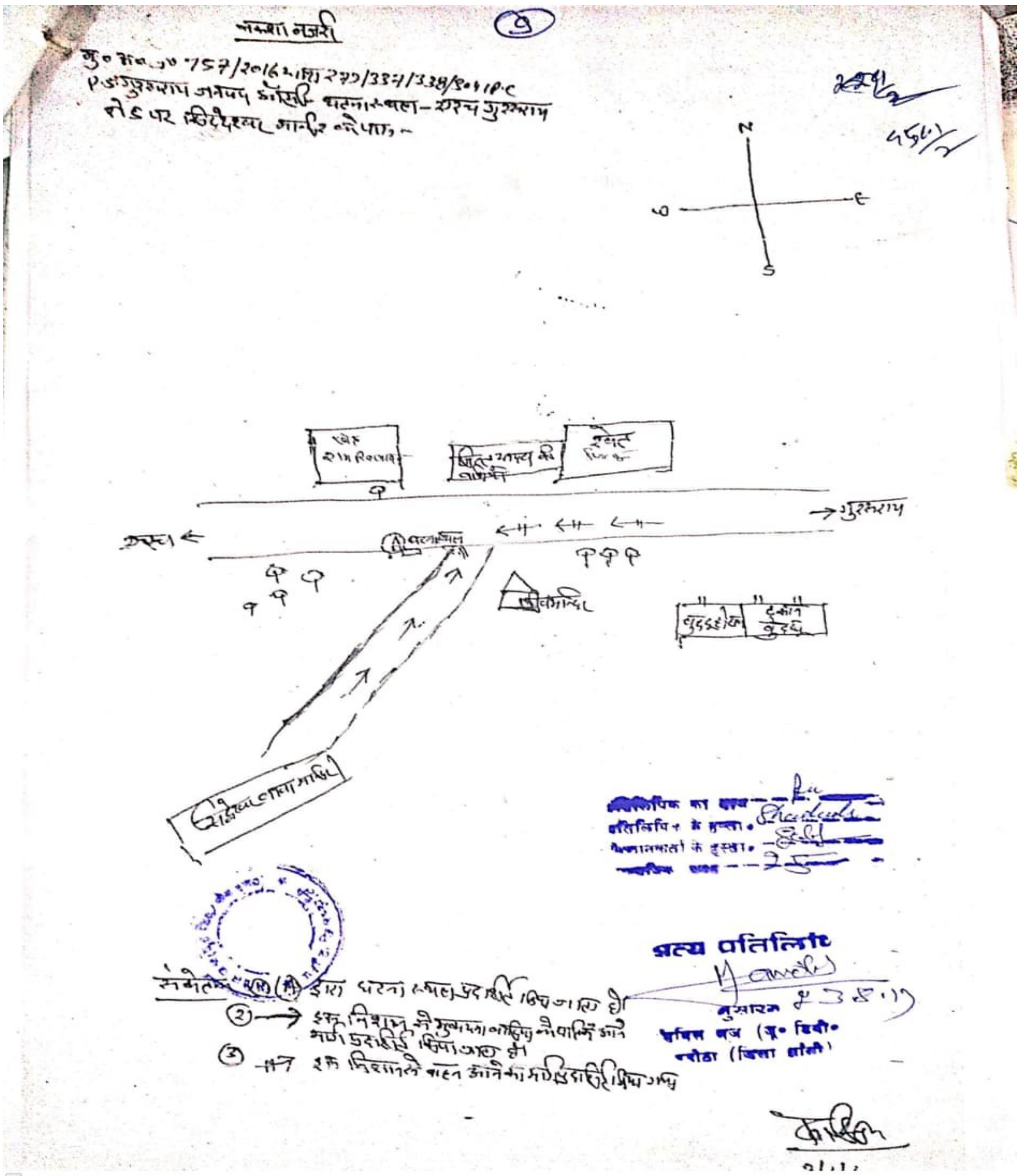

पी.डब्लू. २ की साक्ष्य की सत्यता पर भी कोई सन्देह नहीं होता है अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि दिनॉक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६.०० बजे जब मृतक डॉ. महावीर शरण कौशिक अपने घर से सिद्धेश्वर मंदिर दर्शन के लिये गये थे तब मंदिर से लौटते समय एरच–गुरसरांय मेन सड़क के किनारे मृतक व उसका पूरा परिवार खड़ा हो गया उसी समय गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर छोटी मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और मृतक में टक्कर मार दी जिससे मृतक को गम्भीर चोटें आयीं तथा उसकी मृत्यु हो गयी। तदनुसार वाद बिन्दु सं.१ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१२. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. २</u>

आरोप पत्र मे चालक रहीम उर्फ बबलू पुत्र मन्नी खॉ को अभियुक्त बनाया गया है। इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. १ व ३ की ओर से प्रपत्र सं. २७सी१/२ रहीम खान पुत्र मन्नी खान की चालन अनुज्ञप्ति की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार यह चालन अनुज्ञप्ति दिनॉक ०६.०५.१९५७ को जारी की गयी है तथा यह १२.०७.२०१९ तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक २०.१०.२०१६

की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुलेरो पिकप नं. यू..पी. ७७ टी ५०८९ के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था अत: वाद बिन्दु सं. २ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१३. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. १५सी१ छाया प्रति बीमा पॉलिसी व विपक्षी सं. १ व ३ की ओर से प्रपत्र सं. २७सी१/३ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त प्रश्नगत महेन्द्रा पिकप का बीमा दिनॉक ०१.०६.२०१६ से ३१.०५.२०१७ तक प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनॉक २०.१०.२०१६ की है। अत: वाद बिन्दु सं. ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१४. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ४</u>

चूंकि दुर्घटना बुलेरो पिकप नं. यू..पी. ७७ टी ५०८९ के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण हुयी है और दुर्घटना में क्रमश: याचीगण के पति, पिता व पुत्र महावीर शरण कौशिक की मृत्यु हुयी है और पी.डब्लू.१ के रूप में याची सं.१ ने स्वयं को व याची २, ३, ४ व ५ को मृतक पर निर्भर होना बताया है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दुर्घटना मे कथित घायल लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई अलग अलग याचिकाओं मे अपनी अपनी स्वयं की स्वतंत्र आय बतायी गई है अतः ये याचीगण मृतक पर निर्भर नही थे। मैं बीमा कंपनी के इस तर्क से सहमत नही हूॅ। घायल याचीगण रेखा कौशिक, आकांक्षा कौशिक उम्र करीब १९ वर्ष व अपूर्वा कौशिक उम्र करीब १५ वर्ष क्रमश: पत्नी व पुत्रियॉ हैं जो स्वाभाविक रूप से घर के मुखिया पर निर्भर मानी जाएंगी जब तक कि कोई विपरीत साक्ष्य उपलब्ध न हो। घायल लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई अलग अलग याचिकाओं मे उनकी अपनी अपनी स्वयं की स्वतंत्र आय साबित साबित नही हो पाती है तो इस बात का प्रभाव उन याचिकाओं पर पड़ेगा न कि इस याचिका पर। इस प्रकार याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी कितनी? चूंकि वाद बिन्दु सं. १,२ व ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

१५. <u>क्षतिपूर्ति की गणना–</u>

पी.डब्लू.१ जो कि हितबद्ध साक्षी है ने मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि दुर्घटना से पहले उसके परिवार की अच्छी खासी आय थी। स्टोन क्रेशर पत्थर काटने की मशीन का व्यापार था जिससे खर्च निकाल कर प्रतिमाह लगभग ८०–८५ हजार रुपया बचता था। इसके अलावा उसके पति के अन्य कई स्रोत आय के थे। दो खनिज पदार्थ का पट्टा भी था जिसके लिए एल.एन.टी., कंप्रेसर, ट्रैक्टर और जे.सी.बी. थे। इसके अतिरिक्त उसके पति का मध्य प्रदेश के छतरपुर में ५ एकड़ खनिज का पट्टा उनके नाम था जिसमें वह दूसरी क्रेशर मशीन लगाने की तैयारी में थे। उसके पति के पास चिकित्सा स्नातक की डिग्री थी और प्राइवेट प्रैक्टिस थी बचे हुए समय में प्रतिदिन शाम को लगभग ४:०० से ६:०० तक करते थे जिससे ₹ १०,००० से १५,००० आय हो जाती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद क्रेशर मशीन बेचनी पड़ी क्योंकि वह संचालन करने में सक्षम नहीं थी। उसका परिवार उसके पति की आय पर निर्भर था।

१६. प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कार का पेड़ से टकराने के सुझाव से इनकार किया है तथा फर्जी पटीशन प्रस्तुत करने से सुझाव से भी इनकार किया है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके पति इनकम टैक्स अदा करते थे जिसके कागजात

पेश किए हैं। उसे यह जानकारी है की इनकम टैक्स में क्रेशर की व खेती की आय दिखाते थे। पत्रावली पर इनकम टैक्स जमा किए जाने के संबंध में टैक्स पेयर काउंटरफोयल १००सी/७, १००सी/१३ जो कि क्रमश: वर्ष २०१४-१५ व वर्ष २०१५-१६ के हैं भी प्रस्तुत किए गए हैं और क्योंकि मृतक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता था अतः विधि व्यवस्था Malarvizhi & ors v. United India Insurrance Co. Ltd. & another 2020 (1) ACCD 1 (SC) के आलोक मे मृतक की आय निर्धारित करने के लिए यह एक बेहतर साक्ष्य है। वर्ष २०१५ के इनकम टैक्स रिटर्न प्रपत्र संख्या १००सी१ /१ के अनुसार मृतक की आय ३,३४,३३९ रुपए रही है। इससे पूर्व वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न प्रपत्र संख्या १००सी१/६ के अनुसार मृतक की आय ३,३४,३३९ रुपए रही है। वर्ष २०१३-१४ के इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार मृतक की वार्षिक आय ३,८१,७९४ रुपए रही है। विपक्षी गण इनकम टैक्स से संबंधित प्रपत्रों का खंडन करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। क्योंकि मोटर दुर्घटना दावों के मामलों में मृत्यु के समय मृतक की आय को संज्ञान में लेना होता है, अतः मेरे विचार से मृतक की आय निर्धारित करने के लिए वर्ष २०१५ के इनकम टैक्स रिटर्न को संज्ञान में लेना न्याय उचित होगा। उक्त इनकम टैक्स पर प्रपत्रों में कृषि से अर्जित आय भी दर्शाई गई है। यह आय अतिरिक्त आय है। वर्ष २०१५-१६ में कृषि से अर्जित आय रु. १७८००० दर्शाई गई है। इस संबंध में के यह तर्क दिया गया है कि कृषि से अर्जित होने वाली आय समाप्त नहीं होती, अधिक से अधिक प्रबंधकीय क्षमता का ह्रास माना जा सकता है जो कि एक चौथाई होना चाहिए। इस तर्क से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से इस मामले मे प्रबंधकीय क्षमता का ह्रास एक तिहाई होना चाहिए क्योंकि मृतक इतने सारे कार्य व्यापार में लगा हुआ था तो अवश्य ही वह कृषि कार्य स्वयं नहीं करता होगा बल्कि अन्य लोगों से करवाता होगा। याची के भी इस तर्क से मैं सहमत नहीं की कृषि भूमि मृतक के मरने के बाद बिक चुकी है क्योंकि कृषि भूमि बिकने के जो प्रपत्र बहस के दौरान दाखिल किए गए उस पर विपक्षी गण को खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय रुपए ३,३४,३३९ – २४०० (इनकम टैक्स) + २९० (रिफंड) + ४४,५०० (कृषि कार्य की प्रबंधकीय क्षमता का ह्रास) = ३,७६,७२९ निर्धारित की जाती है। बीमा कंपनी के इस तर्क से मैं सहमत नहीं की पी.डब्लू१ ने मात्र ५८,००० रु. वार्षिक आय बताइ है। वास्तव में उसने ५८,००० रु. की बचत बताइ है। प्रति परीक्षा में आय व बचत शब्द में वह भ्रमित हुई है जिसका लाभ बीमा कंपनी को नहीं मिलता है।

१७. पत्रावली पर उपलब्ध आधार कार्ड तथा परिवार रजिस्टर क्रमशः प्रपत्र संख्या १३सी१/१ व १४सी१ के अनुसार मृतक की जन्म तिथि एक मार्च सन १९६८ है, अतः दुर्घटना के समय मृतक की आयु ४८ वर्ष ७ माह २१ दिन होती है। इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस से तर्क मैं सहमत नहीं मृतक ५१ -५२ वर्ष का था। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार १३ का गुणक, ४०-५० आयु वर्ग के लिए ३० % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, मृतक पर ५ लोगों के आश्रित परिवार में स्वयं के खर्च पर १/४ भाग की कटौती, याचीगण के पति, पिता व पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत संपदा की क्षति के लिए ₹ १५,०००/- दाह संस्कार के लिए ₹ १५,०००/- निर्धारित किये जाते हैं।

भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)	30	113018.7
स्वयं पर खर्च (भाग में)	4	122436.925
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)		367310.775
गुणक	13	4775040.075
वैवाहिक साहचर्य की क्षति	40000	4815040.075
संपदा की क्षति	15000	4830040.075
अंतिम संस्कार पर खर्च	15000	**4845040.075**
देय क्षतिपूर्ति		**4845040.075**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ ४८,४५,०४१/- आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 – SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि याचीगण मृतक के क्रमशः पत्नी, दो पुत्रियाँ व पिता–माता हैं अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण के मध्य क्रमशः ३०, २०, २०, १५ व १५ प्रतिशत के अनुपात में बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 – SC) : MANU/SC/1949/2009 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से प्रत्येक माह ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी गण के विरुद्ध संयुक्त एवं पृथक –पृथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ ४८,४५,०४१/- (अडतालीस लाख पैंतालीस हजार इकतालीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दे।

याची सं. १, २ व ३ तथा ४ व ५ क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: ३०, २० व २० तथा १५ व १५ प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें। याची संख्या १, २ व ३ की धनराशि का ७५% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे ५ वर्ष के लिए तथा याची संख्या ४ व ५ की धनराशि का ७०% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे ३ वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रतिमाह ब्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगें। याची संख्या १, २ की इच्छा पर ३ वर्ष के पश्चात धनराशि पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक १६.०६.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक १६.०६.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी